रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4809] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940
No. 4809] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/ AGRAHAYANA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

का.आ. 6035(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बिनसार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा शहर से लगभग 22 किलोमीटर और हल्द्वानी रेलहेड से 112 किलोमीटर दूर है, अभयारण्य समृद्ध वनस्पति एवं जीवजंतु विविधता के लिए महत्वपूर्ण और विख्यात है बिनसार वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है। सघन पाइन और ओक वन में जीवजंतुओं की बहुलता है जैसे तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, गोरल, मुंजक, बनैला सूअर, साही, बंदर, सरीसृप और विभिन्न पक्षी-जीव अभयारण्य के भीतर प्रचुर हरित ओक और पाइन वन सहित विभिन्न हिमालयन जड़ी–बूटियां और पादप विद्यमान हैं जिन्हे सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है।

और, यहां हर तरफ कलीज़, कोकलस और चिर फेजेंट जैसे अनेक फेजेंट पाए जाते है और हर साल ग्रीष्म ऋतु में लगभग 60 प्रवासी पक्षी और शीत ऋतु में 15 प्रजातियां यहां पहुंचती है।

और, अभयारण्य क्षेत्र में विभिन्न हिमालयन जड़ी बूटियां एवं पादप जैसे वन तुलसी *(ओकिमुम बसील्लीकुम), अपामार्ग (अचयरांथेस असपेरा), चिरायत (स्वेरतिया चिरायीता), गेंथी (डीओस्कोरिया बुलबिफेरा), कीलमोडा (बेरबेरीस अरीस्टट), दरूलहलदी (बेरबेरीस लीसियम), बराहमी (बेकोपा मोन्नीइरी), ठुनेर (ताक्सुस बेक्काटा), तेजपात (किन्नामोमुम टमला), गिलोज (टींस्पोरा करदीफोलिया), वंफसा (विओला पिलोसा), पसंवेदी (कोलेउस फोरस्खोल्ली), समेवा(वेलेरीआना हरदविक्की), सफेदी मुसली(चलोरोयतुम स्प्पेसेमेवा)* और अन्य विभिन्न मूल्यवान प्रजातियों के साथ प्रचुर हरित ओक और पाइन वन है जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में बिनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 300 मीटर से 3 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बिनसार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बिनसार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य से 300 मीटर से 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 81.63 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ग** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III (क) और (ख)** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग;

(xiii) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा

का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– उत्तराखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद

		खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे ।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोटो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या

		पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी

		द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पॉलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	भूमि उपयोग में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, प्रारूप अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, अल्मोड़ा	-अध्यक्ष;
2.	उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, बिनसार वन्यजीव अभयारण्य	–सदस्य;
9.	संभागीय वन अधिकारी, सिविल और सोयाम वन संभाग, अल्मोड़ा	–सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(v) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(vi) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(vii) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे

[फा. सं. 25/03/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	उत्तर दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र तालुका-बागेश्वर मोटर मार्ग और जयगन नदी तक है।
पूर्व	पूर्व में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र कनराई-चीना से धौलचीना से आरम्भ होकर कलीगाड और कोटियार गाड धारा के साथ दक्षिण की ओर जाती है ।
दक्षिण	दक्षिण दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र धौलचीना-कपरखान-अल्मोड़ा मोटर मार्ग तक है।
पश्चिम	पश्चिम दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र अल्मोड़ा-कपरखान तालुका-बागेश्वर मोटर सड़क के बीच है।

उपाबंध- IIक

अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

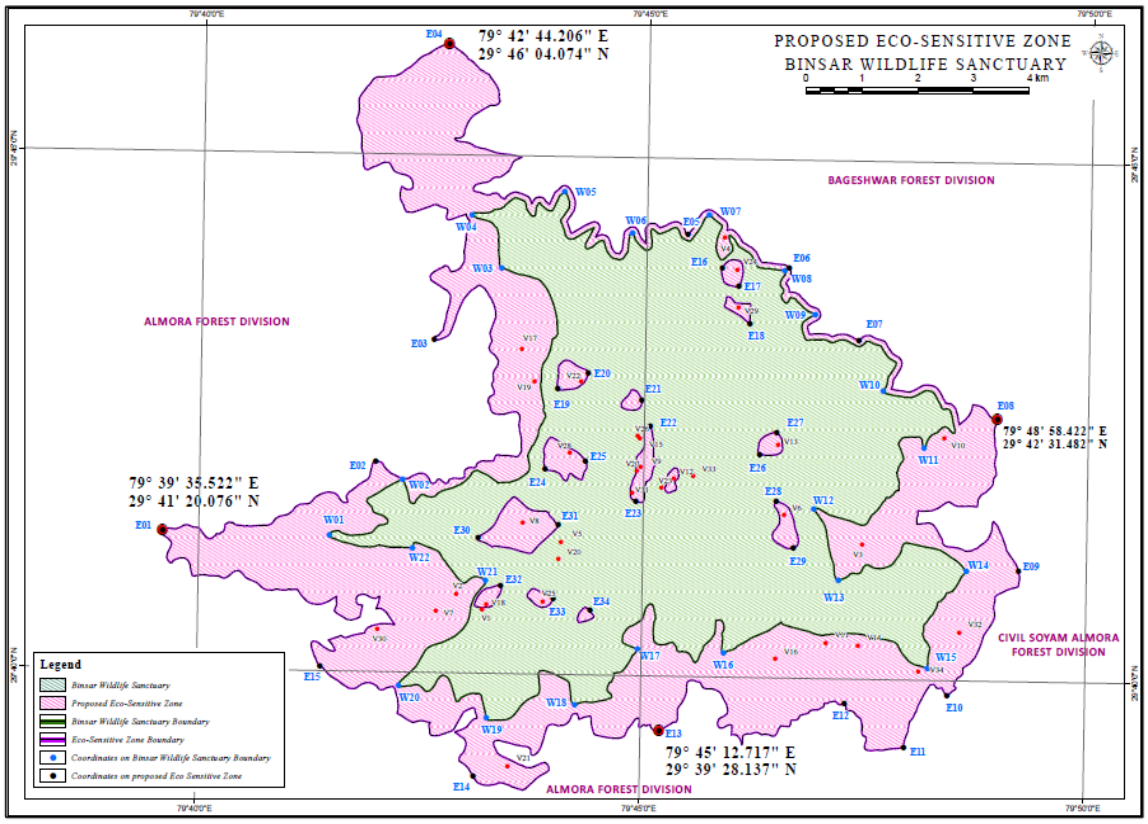

उपाबंध - II ख

बिनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र

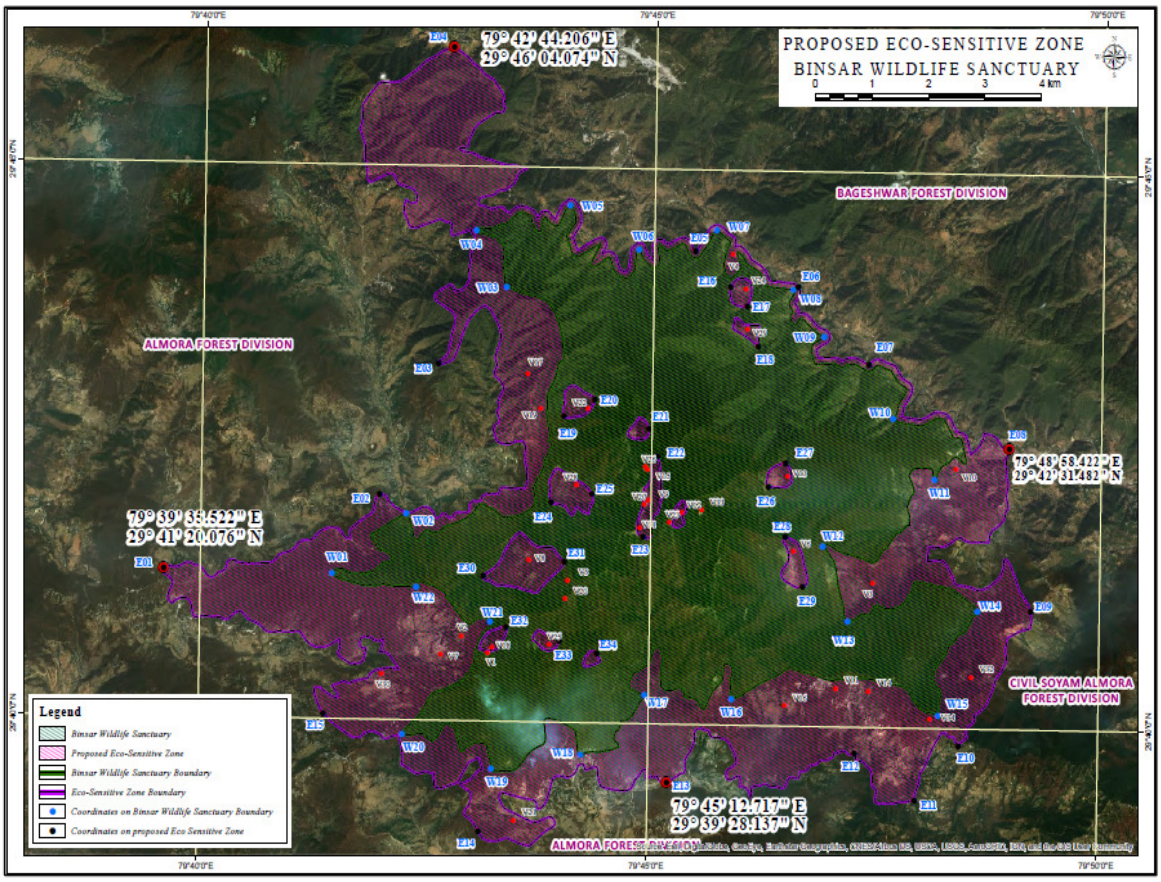

उपाबंध IIIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर बिनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

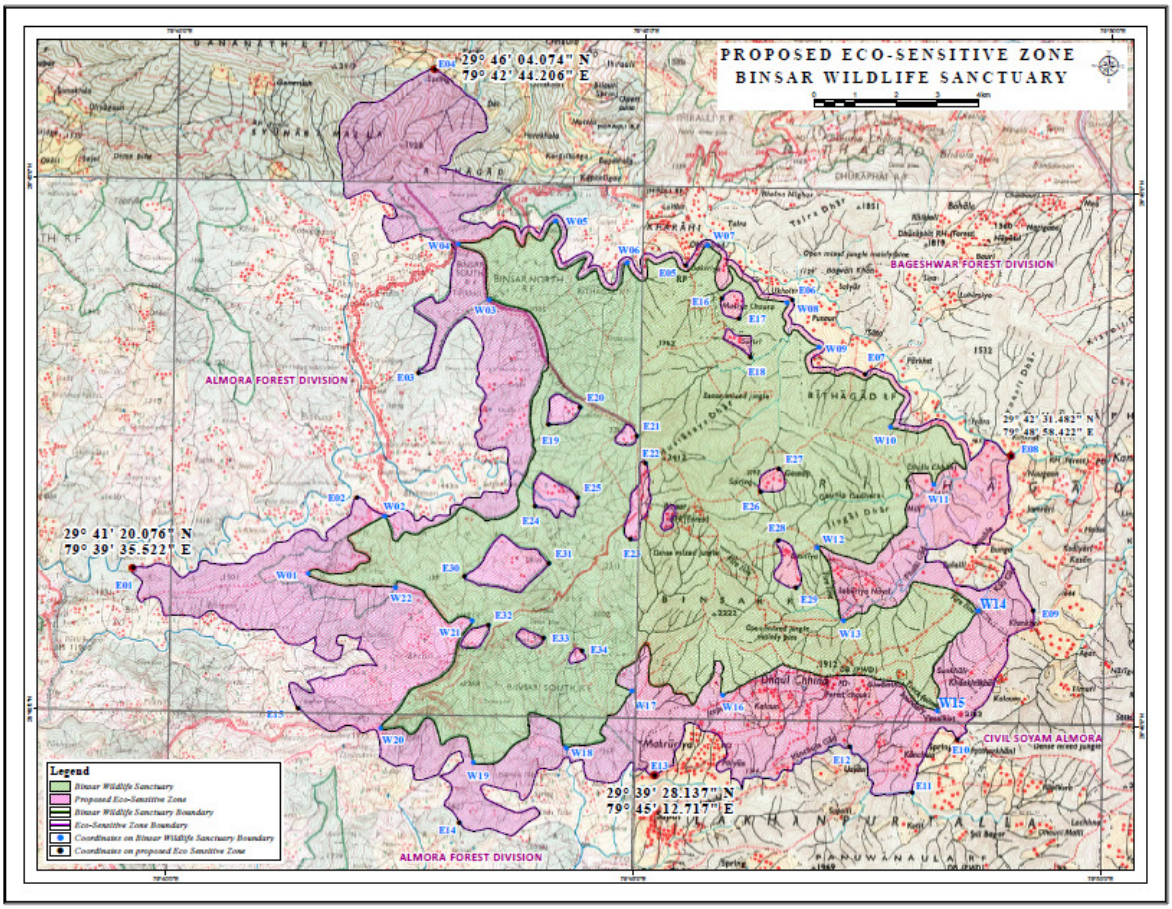

उपाबंध-III

सारणी क : बिनसार वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	दिशाएं
डब्ल्यू01	79° 41' 28.129" पू	29° 41' 18.808" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू02	79° 42' 16.954" पू	29° 41' 51.469" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू03	79° 43' 21.804" पू	29° 43' 54.950" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू04	79° 43' 1.250" पू	29° 44' 25.689" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू05	79° 44' 3.602" पू	29° 44' 39.841" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू06	79° 44' 49.901" पू	29° 44' 16.669" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू07	79° 45' 41.484" पू	29° 44' 27.284" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू08	79° 46' 33.173" पू	29° 43' 55.737" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू09	79° 46' 54.049" पू	29° 43' 30.807" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू10	79° 47' 40.769" पू	29° 42' 46.836" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू11	79° 48' 9.037" पू	29° 42' 14.785" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू12	79° 46' 54.980" पू	29° 41' 37.819" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू13	79° 47' 12.559" पू	29° 40' 57.049" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू14	79° 48' 38.985" पू	29° 41' 3.433" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू15	79° 48' 13.459" पू	29° 40' 6.957" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू16	79° 45' 55.696" पू	29° 40' 13.954" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू17	79° 44' 57.569" पू	29° 40' 15.274" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू18	79° 44' 15.666" पू	29° 39' 42.682" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू19	79° 43' 16.245" पू	29° 39' 34.098" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू20	79° 42' 16.397" पू	29° 39' 52.118" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू21	79° 43' 13.979" पू	29° 40' 53.475" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू22	79° 42' 24.474" पू	29° 41' 11.666" उ	वन्यजीव अभयारण्य

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

बिदु	देशांतर	अक्षांश	दिशाएं
ई01	79° 40' 18.171" पू	29° 41' 23.943" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई02	79° 41' 58.753" पू	29° 42' 2.017" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई03	79° 42' 37.138" पू	29° 43' 12.746" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई04	79° 44' 4.506" पू	29° 44' 43.041" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई05	79° 45' 27.544" पू	29° 44' 15.855" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई06	79° 46' 36.285" पू	29° 43' 57.605" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई07	79° 47' 24.094" पू	29° 43' 16.209" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई08	79° 48' 58.422" पू	29° 42' 31.482" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई09	79° 49' 14.173" पू	29° 41' 4.136" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई10	79° 48' 26.858" पू	29° 39' 50.921" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई11	79° 47' 58.347" पू	29° 39' 21.120" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई12	79° 47' 17.899" पू	29° 39' 45.803" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई13	79° 45' 12.717" पू	29° 39' 28.137" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई14	79° 43' 7.879" पू	29° 39' 0.044" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई15	79° 41' 23.204" पू	29° 40' 2.760" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई16	79° 45' 50.960" पू	29° 43' 57.192" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई17	79° 46' 2.357" पू	29° 43' 46.454" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई18	79° 46' 10.081" पू	29° 43' 24.777" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई19	79° 44' 0.942" पू	29° 42' 45.305" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई20	79° 44' 21.359" पू	29° 42' 55.121" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई21	79° 44' 57.855" पू	29° 42' 39.643" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई22	79° 45' 3.876" पू	29° 42' 24.362" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई23	79° 44' 54.961" पू	29° 41' 41.061" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई24	79° 43' 53.295" पू	29° 41' 59.002" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई25	79° 44' 20.541" पू	29° 42' 4.114" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई26	79° 46' 18.088" पू	29° 42' 9.155" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई27	79° 46' 29.538" पू	29° 42' 22.148" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई28	79° 46' 29.961" पू	29° 41' 41.997" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई29	79° 46' 41.823" पू	29° 41' 15.569" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई30	79° 43' 8.734" पू	29° 41' 18.748" उ	पारिस्थितिकी जोन

ई31	79° 44' 2.694" पू	29° 41' 26.774" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई32	79° 43' 24.484" पू	29° 40' 51.162" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई33	79° 44' 0.177" पू	29° 40' 44.249" उ	पारिस्थितिकी जोन
ई34	79° 44' 24.955" पू	29° 40' 37.590" उ	पारिस्थितिकी जोन

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ बिनसार वन्य जीव अभयारण्य के पारिस्थिति की संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्रों की सूची

क्र.सं	ग्राम /उपनिवेश का नाम	देशांतर	अक्षांश	ग्राम कोड
1	अयारपानी	79° 43' 15.016" पू	29° 40' 39.782" उ	वी1
2	अयारपानी चाक	79° 42' 54.600" पू	29° 40' 46.100" उ	वी2
3	बबुरीया नयाल	79° 47' 28.406" पू	29° 41' 17.828" उ	वी3
4	बखरीया	79° 45' 52.408" पू	29° 44' 15.016" उ	वी4
5	बेल्वाया बगर चाक	79° 44' 5.000" पू	29° 41' 17.000" उ	वी5
6	बेतुलीया	79° 46' 35.300" पू	29° 41' 34.240" उ	वी6
7	भेतुली	79° 42' 41.268" पू	29° 40' 36.082" उ	वी7
8	दलार	79° 43' 38.849" पू	29° 41' 27.694" उ	वी8
9	देवी लाल स्टेट	79° 44' 58.000" पू	29° 42' 1.000" उ	वी9
10	धल्ले छानी	79° 48' 22.957" पू	29° 42' 20.264" उ	वी10
11	धौला छिना	79° 47' 4.812" पू	29° 40' 20.805" उ	वी11
12	फरह बिनसार	79° 45' 20.350" पू	29° 41' 54.382" उ	वी12
13	गउनाप	79° 46' 30.631" पू	29° 42' 15.298" उ	वी13
14	गिवाइंथाल	79° 47' 26.592" पू	29° 40' 19.860" उ	वी14
15	लटनपुर स्टेट	79° 44' 57.200" पू	29° 42' 17.300" उ	वी15
16	कालौन	79° 46' 30.736" पू	29° 40' 10.991" उ	वी16
17	कलीगाड	79° 43' 36.599" पू	29° 43' 7.962" उ	वी17
18	खाली स्टेट	79° 43' 12.400" पू	29° 40' 36.700" उ	वी18
19	खुरीहा	79° 43' 45.338" पू	29° 42' 49.247" उ	वी19
20	किरोदा चाक	79° 44' 3.300" पू	29° 41' 6.600" उ	वी20
21	कुंजारीऔरा	79° 43' 31.266" पू	29° 39' 6.495" उ	वी21
22	मयालीखान	79° 44' 16.893" पू	29° 42' 50.036" उ	वी22
23	मेरी वतन स्टेट	79° 45' 12.100" पू	29° 41' 49.080" उ	वी23
24	मुसियार चौरा	79° 46' 1.320" पू	29° 43' 56.137" उ	वी24

25	नील	79° 43' 53.344" पू	29° 40' 42.020" उ	वी25
26	नंदा देवी स्टेट	79° 44' 55.800" पू	29° 42' 18.700" उ	वी26
27	पी डब्ल्यू टी गंग हुट	79° 44' 55.500" पू	29° 41' 58.400" उ	वी27
28	रीसाल	79° 44' 9.866" पू	29° 42' 8.429" उ	वी28
29	संतरी	79° 46' 2.434" पू	29° 43' 34.035" उ	वी29
30	सौरान	79° 42' 1.812" पू	29° 40' 24.543" उ	वी30
31	साह स्टेट	79° 44' 52.500" पू	29° 41' 45.900" उ	वी31
32	सुनखली	79° 48' 34.950" पू	29° 40' 27.953" उ	वी32
33	टी आर सी बिनसार	79° 45' 33.500" पू	29° 41' 56.000" उ	वी33
34	विमलकोट	79° 48' 7.531" पू	29° 40' 4.834" उ	वी34

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2018

S.O. 6035(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under

sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Binsar Wildlife Sanctuary in the State of Uttarakhand about 22 km from Almora city and 112 km from Haldwani Railhead, is an important and well-known sanctuary known for rich flora & fauna diversity. The area of Binsar Wildlife Sanctuary is 47.07 Sq. Km. In a dense pine and oak forest, a rich fauna is present having wild animals like Panther, Himalayan Black bear, Goral, Barking deer, Wild boar, Porcupine, Monkeys, reptiles and various avifauna. Inside the Sanctuary various Himalayan herbs & plants are present along with lush green oak and pine forest and need a protection and conservation.

AND WHEREAS, a number of pheasants like Kaleez, Koklas and Chir pheasants are present everywhere and every year about 60 migratory birds reaching here in summer and 15 species in winter from different regions.

AND WHEREAS, various Himalayan herbs & plants like Van *Tulsi (Ocimum basillicum),* Apamarg *(Achyranthes aspera),* Chirayat *(Swertia chirayita),* Genthi *(Dioscorea bulbifera),* Kilmoda *(berberis aristata),* Darulhaldi *(berberis lycium),* Brahmi *(Bacopa monnieri),* Thuner *(Taxus baccata),* Tejpat *(Cinnamomum tamala),* Giloy *(Tinospora cardifolia)* Vanfsa *(Viola pilosa),* Pasanved *(Coleus forskholli)* Samewa *(valeriana hardwickii),* Safed Musali *(Chlorophytum sppsamewa)* & other various valuable species are present in Sanctuary area with lush green oaks and pines forest which needs protection and conservation.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 300 meter to 3 kilometer around the boundary of Binsar Wildlife sanctuary in the State of Uttarakhand as the Binsar Wildlife sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 300 meter to 3 kilometer around the Binsar Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 81.63 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II A-C.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways;

(xiii) Uttarakhand State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage. -**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites. -**Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government or Uttarakhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution. -**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units. -**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing Mining (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpd Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is

		nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road. (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Commercial use of firewood.	Regulated under applicable laws.
30.	Drastic change in land use	Regulated under applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the draft notification, comprising of the following, namely:—

1.	Conservator of Forests, North Kumaon, Almora	Chairman;
2.	A representative nominated by the Forest Department of Uttarakhand	Member;
3.	A representative of Non-Government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
4.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
5.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
6.	A representative from State Public Works Department	Member;
7.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
8.	Wildlife Warden, Binsar Wildlife Sanctuary	Member;
9.	Divisional Forest Officer, Civil & Soyam Forests Division, Almora	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(i) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(ii) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(iii) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(iv) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(v) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(vi) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(vii) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(viii) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	In North direction area of Eco Sensitive Zone lies along the Takula -Bageshwer Motor Road and Jaigan river.
East	In East the area of Eco sensitive Zone Starts fromKanarichina to Dholchina towards South along the stream Kaligad and Kodiyari gad;
South	In south direction area of Eco Sensitive Zone lies along the Dholchina- Kaparkhan- Almora Motor Road.
West	In which direction area of Eco Sensitive Zone lies along the Almora-Kaparkhan Takula-Bageswar Motor Road.

ANNEXURE- II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

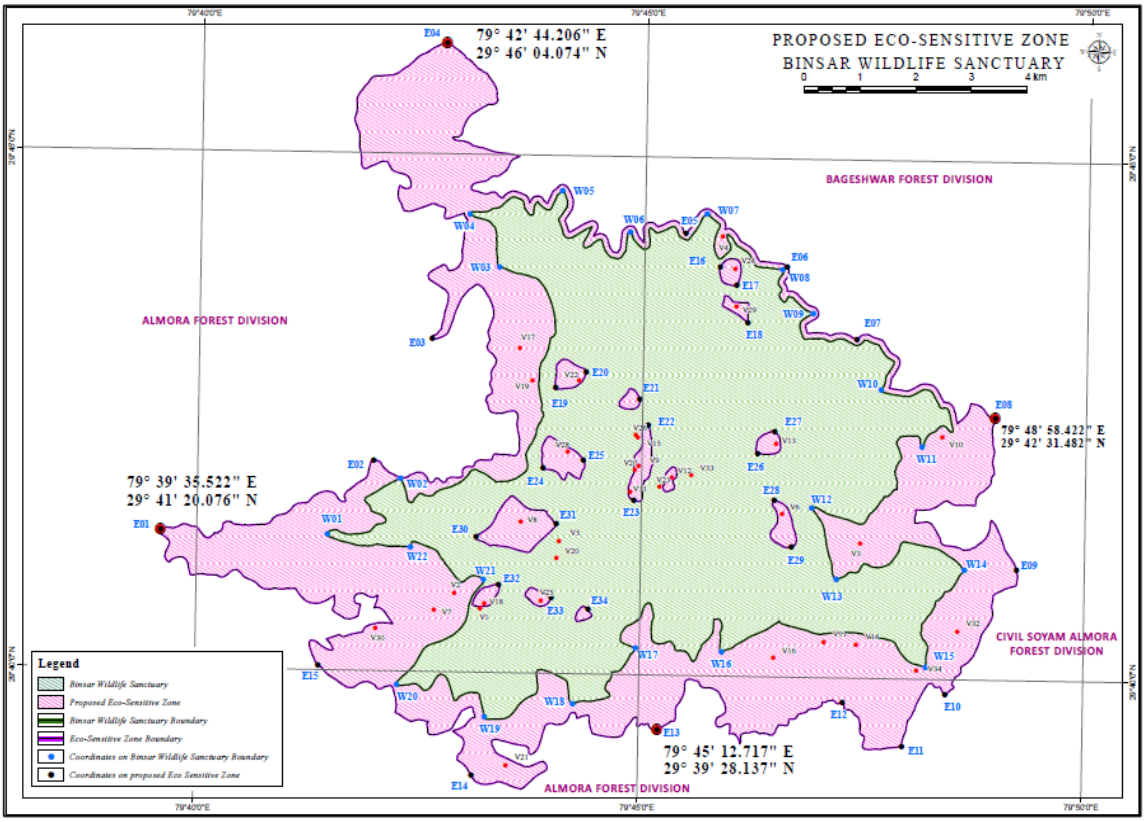

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY

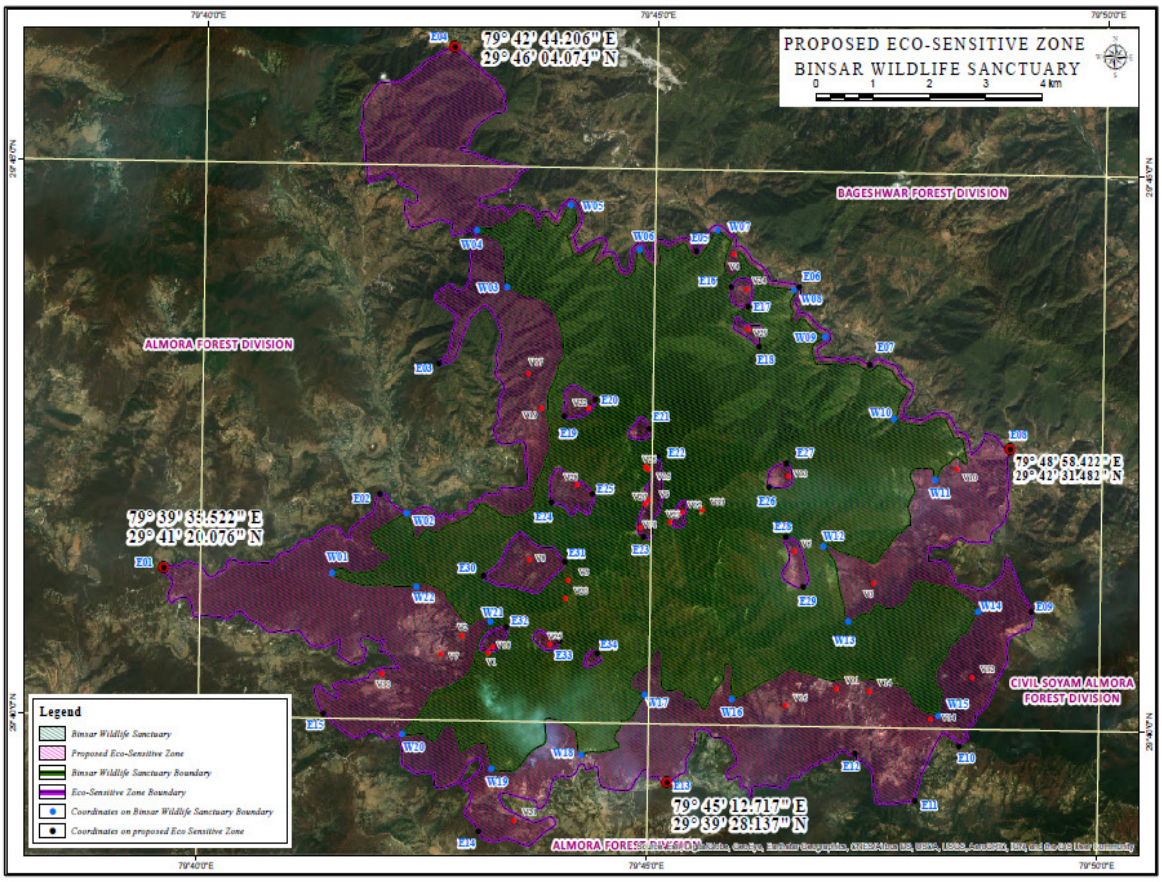

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

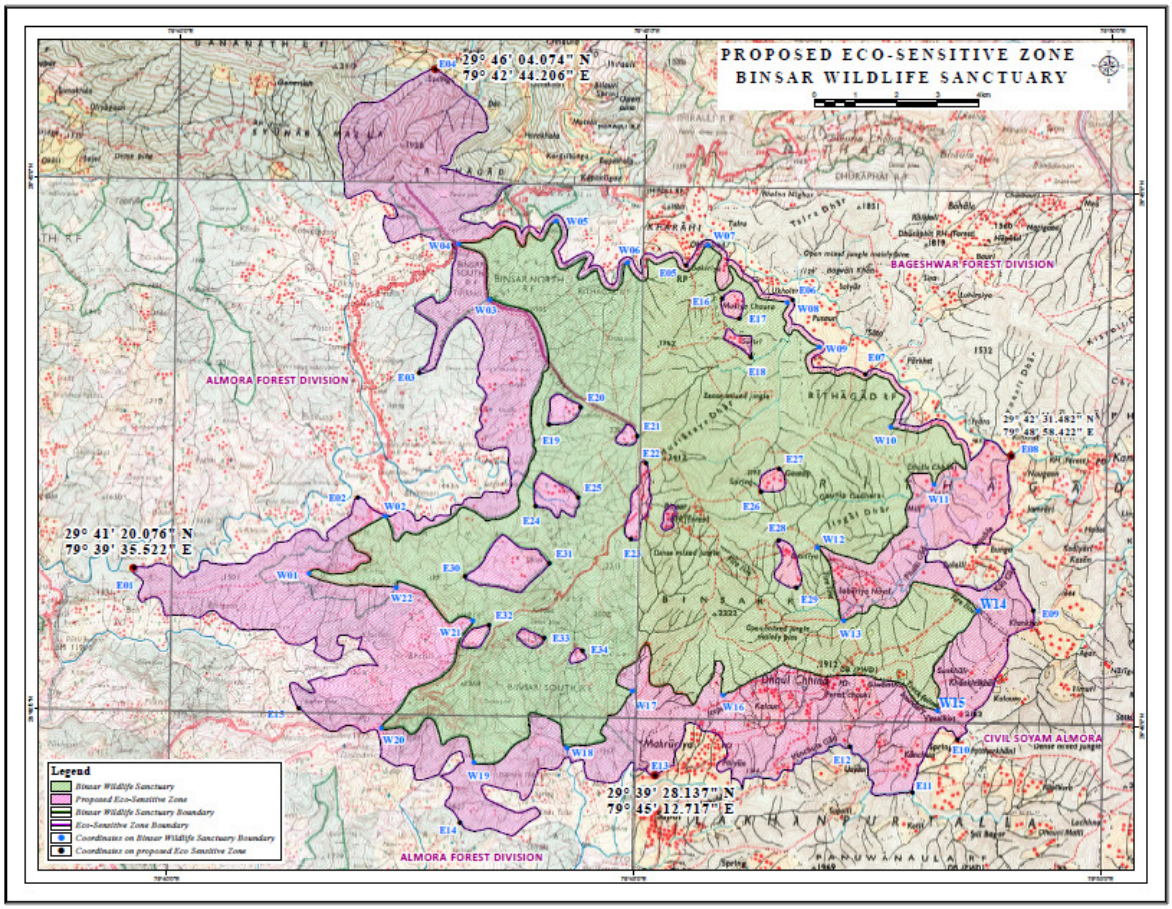

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Binsar Wildlife Sanctuary, Uttarakhand

Points	Longitude	Latitude	Description
W01	79° 41' 28.129" E	29° 41' 18.808" N	Wildlife Sanctuary
W02	79° 42' 16.954" E	29° 41' 51.469" N	Wildlife Sanctuary
W03	79° 43' 21.804" E	29° 43' 54.950" N	Wildlife Sanctuary
W04	79° 43' 1.250" E	29° 44' 25.689" N	Wildlife Sanctuary
W05	79° 44' 3.602" E	29° 44' 39.841" N	Wildlife Sanctuary
W06	79° 44' 49.901" E	29° 44' 16.669" N	Wildlife Sanctuary
W07	79° 45' 41.484" E	29° 44' 27.284" N	Wildlife Sanctuary
W08	79° 46' 33.173" E	29° 43' 55.737" N	Wildlife Sanctuary
W09	79° 46' 54.049" E	29° 43' 30.807" N	Wildlife Sanctuary
W10	79° 47' 40.769" E	29° 42' 46.836" N	Wildlife Sanctuary
W11	79° 48' 9.037" E	29° 42' 14.785" N	Wildlife Sanctuary
W12	79° 46' 54.980" E	29° 41' 37.819" N	Wildlife Sanctuary
W13	79° 47' 12.559" E	29° 40' 57.049" N	Wildlife Sanctuary
W14	79° 48' 38.985" E	29° 41' 3.433" N	Wildlife Sanctuary
W15	79° 48' 13.459" E	29° 40' 6.957" N	Wildlife Sanctuary
W16	79° 45' 55.696" E	29° 40' 13.954" N	Wildlife Sanctuary
W17	79° 44' 57.569" E	29° 40' 15.274" N	Wildlife Sanctuary
W18	79° 44' 15.666" E	29° 39' 42.682" N	Wildlife Sanctuary
W19	79° 43' 16.245" E	29° 39' 34.098" N	Wildlife Sanctuary
W20	79° 42' 16.397" E	29° 39' 52.118" N	Wildlife Sanctuary
W21	79° 43' 13.979" E	29° 40' 53.475" N	Wildlife Sanctuary
W22	79° 42' 24.474" E	29° 41' 11.666" N	Wildlife Sanctuary

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Points	Longitude	Latitude	Description
E01	79° 40' 18.171" E	29° 41' 23.943" N	Eco Sensitive Zone
E02	79° 41' 58.753" E	29° 42' 2.017" N	Eco Sensitive Zone
E03	79° 42' 37.138" E	29° 43' 12.746" N	Eco Sensitive Zone
E04	79° 44' 4.506" E	29° 44' 43.041" N	Eco Sensitive Zone
E05	79° 45' 27.544" E	29° 44' 15.855" N	Eco Sensitive Zone
E06	79° 46' 36.285" E	29° 43' 57.605" N	Eco Sensitive Zone
E07	79° 47' 24.094" E	29° 43' 16.209" N	Eco Sensitive Zone
E08	79° 48' 58.422" E	29° 42' 31.482" N	Eco Sensitive Zone

E09	79° 49' 14.173" E	29° 41' 4.136" N	Eco Sensitive Zone
E10	79° 48' 26.858" E	29° 39' 50.921" N	Eco Sensitive Zone
E11	79° 47' 58.347" E	29° 39' 21.120" N	Eco Sensitive Zone
E12	79° 47' 17.899" E	29° 39' 45.803" N	Eco Sensitive Zone
E13	79° 45' 12.717" E	29° 39' 28.137" N	Eco Sensitive Zone
E14	79° 43' 7.879" E	29° 39' 0.044" N	Eco Sensitive Zone
E15	79° 41' 23.204" E	29° 40' 2.760" N	Eco Sensitive Zone
E16	79° 45' 50.960" E	29° 43' 57.192" N	Eco Sensitive Zone
E17	79° 46' 2.357" E	29° 43' 46.454" N	Eco Sensitive Zone
E18	79° 46' 10.081" E	29° 43' 24.777" N	Eco Sensitive Zone
E19	79° 44' 0.942" E	29° 42' 45.305" N	Eco Sensitive Zone
E20	79° 44' 21.359" E	29° 42' 55.121" N	Eco Sensitive Zone
E21	79° 44' 57.855" E	29° 42' 39.643" N	Eco Sensitive Zone
E22	79° 45' 3.876" E	29° 42' 24.362" N	Eco Sensitive Zone
E23	79° 44' 54.961" E	29° 41' 41.061" N	Eco Sensitive Zone
E24	79° 43' 53.295" E	29° 41' 59.002" N	Eco Sensitive Zone
E25	79° 44' 20.541" E	29° 42' 4.114" N	Eco Sensitive Zone
E26	79° 46' 18.088" E	29° 42' 9.155" N	Eco Sensitive Zone
E27	79° 46' 29.538" E	29° 42' 22.148" N	Eco Sensitive Zone
E28	79° 46' 29.961" E	29° 41' 41.997" N	Eco Sensitive Zone
E29	79° 46' 41.823" E	29° 41' 15.569" N	Eco Sensitive Zone
E30	79° 43' 8.734" E	29° 41' 18.748" N	Eco Sensitive Zone
E31	79° 44' 2.694" E	29° 41' 26.774" N	Eco Sensitive Zone
E32	79° 43' 24.484" E	29° 40' 51.162" N	Eco Sensitive Zone
E33	79° 44' 0.177" E	29° 40' 44.249" N	Eco Sensitive Zone
E34	79° 44' 24.955" E	29° 40' 37.590" N	Eco Sensitive Zone

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Name of Village/Settlement	Longitude	Latitude	Village Code
1	Ayarpani	79° 43' 15.016" E	29° 40' 39.782" N	V1
2	AyarpaniChak	79° 42' 54.600" E	29° 40' 46.100" N	V2
3	BaburiyaNayal	79° 47' 28.406" E	29° 41' 17.828" N	V3
4	Bakhriya	79° 45' 52.408" E	29° 44' 15.016" N	V4
5	BelwauaBagarChak	79° 44' 5.000" E	29° 41' 17.000" N	V5
6	Betuliya	79° 46' 35.300" E	29° 41' 34.240" N	V6
7	Bhetuli	79° 42' 41.268" E	29° 40' 36.082" N	V7

8	Dalar	79° 43' 38.849" E	29° 41' 27.694" N	V8
9	Devi Lal State	79° 44' 58.000" E	29° 42' 1.000" N	V9
10	DhalleChhani	79° 48' 22.957" E	29° 42' 20.264" N	V10
11	DhaulChhina	79° 47' 4.812" E	29° 40' 20.805" N	V11
12	FrhBinsar	79° 45' 20.350" E	29° 41' 54.382" N	V12
13	Gaunap	79° 46' 30.631" E	29° 42' 15.298" N	V13
14	Giwainthal	79° 47' 26.592" E	29° 40' 19.860" N	V14
15	Itanpur State	79° 44' 57.200" E	29° 42' 17.300" N	V15
16	Kalaun	79° 46' 30.736" E	29° 40' 10.991" N	V16
17	Kaligad	79° 43' 36.599" E	29° 43' 7.962" N	V17
18	Khali State	79° 43' 12.400" E	29° 40' 36.700" N	V18
19	Khuriha	79° 43' 45.338" E	29° 42' 49.247" N	V19
20	Kiroda -Chak	79° 44' 3.300" E	29° 41' 6.600" N	V20
21	Kunjariaura	79° 43' 31.266" E	29° 39' 6.495" N	V21
22	Mayalikhan	79° 44' 16.893" E	29° 42' 50.036" N	V22
23	MeriVatan State	79° 45' 12.100" E	29° 41' 49.080" N	V23
24	MusiyaChaura	79° 46' 1.320" E	29° 43' 56.137" N	V24
25	Nail	79° 43' 53.344" E	29° 40' 42.020" N	V25
26	Nanda Devi State	79° 44' 55.800" E	29° 42' 18.700" N	V26
27	PWD Gang Hut	79° 44' 55.500" E	29° 41' 58.400" N	V27
28	Risal	79° 44' 9.866" E	29° 42' 8.429" N	V28
29	Santri	79° 46' 2.434" E	29° 43' 34.035" N	V29
30	Sauran	79° 42' 1.812" E	29° 40' 24.543" N	V30
31	Shah State	79° 44' 52.500" E	29° 41' 45.900" N	V31
32	Sunkhali	79° 48' 34.950" E	29° 40' 27.953" N	V32
33	TRC Binsir	79° 45' 33.500" E	29° 41' 56.000" N	V33
34	Vimalkot	79° 48' 7.531" E	29° 40' 4.834" N	V34

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.14 22:40:03 +05'30'